APP-A
Crime-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम .....

किसान बनाम भवदेव राम

नं० 41 सन् 2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.9.19	
पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.11.19 के अनुसार इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.3.2012 प्रकरण सं. 18/2012 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार सीकर को प्रकरण पुनः प्रेषित किया जाकर निर्धारित किया गया है दोनों पक्षकारों को विधिवत सुना जाकर मौके पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में विधानुसार आदेश पारित कर निर्णय/पत्रावली वापस करें।	
उक्त प्रकरण तहसीलदार को पुनः प्रेषित किया गया है अतः तहसीलदार सीकर को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना हेतु लिखा जावे। तथा इस न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही इस विषय पर बंद की जावे। पत्रावली प्रेषण शुल्क दोनों पक्षकार वाद व्यय सहित स्वयं वहन करेंगे।	

(SDO) Sikar